

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 45

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहाण, 1946 (शक) को दिया गया

वित्तीय धोखाधड़ी के मामले

45. प्रो. सौगत राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में वित्तीय धोखाधड़ी के बड़ी संख्या में मामलों की सूचना दी है;
- (ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार के पास देश में वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम लाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि की संबंध में धोखाधड़ी पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार और घटना की तारीख के आधार पर, वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी के मामलों में अंतर्गत राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9,298 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,607 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,715 करोड़ रुपये हो गई है।

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लिए धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या और इन धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

बैंकिंग धोखाधड़ियों पर अंकुश लगाने तथा धोखाधड़ी करने वालों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में धोखाधड़ियों में अंतर्ग्रस्त राशि में कमी आई है। इसके अलावा, पूर्व के मास्टर निदेशों, परिपत्रों और उभरते मुद्दों की व्यापक समीक्षा के आधार पर, आरबीआई ने दिनांक 15.7.2024 को वाणिज्यिक बैंकों और एआईएफआई में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संबंधी संशोधित मास्टर निदेश जारी किए हैं। उक्त मास्टर निदेश की मुख्य विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) समग्र अभिशासन और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की निगरानी में बोर्ड की भूमिका को सुदृढ़ बनाना।
- (ii) सुदृढ़ आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण संबंधी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देना।
- (iii) आंतरिक चेतावनी संकेतों (सिग्नलों) और खातों को रेड फ्लेग करने लगाने संबंधी ढांचे को धोखाधड़ियों का शीघ्र पता लगाने और रोकने तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों एवं पर्यवेक्षकों को यथासमय सूचना देने के सुदृढ़ किया गया है।
- (iv) बैंकों में समर्पित आंकड़ा विश्लेषण और बाजार आसूचना एकक की स्थापना को संभावित धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों का शीघ्र पता लगाने और रोकने में समर्थ बनाने के लिए संगत सूचना के संग्रहण और प्रोसेसिंग को सुकर बनाने के लिए अधिदेशित किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 45, वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में घटना की तारीख के आधार पर प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों और एआईएफआई में धोखाधड़ी का व्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संख्या	शामिल राशि	संख्या	शामिल राशि	संख्या	शामिल राशि
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	2	0.02	6	0.17
आंध्र प्रदेश	186	183.96	336	458.61	588	140.87
अरुणाचल प्रदेश	3	1.57	1	0.05	13	0.47
असम	68	11.11	113	14.99	291	15.44
बिहार	247	51.95	269	28.59	591	25.85
चंडीगढ़	83	34.98	72	70.88	94	4.48
छत्तीसगढ़	85	34.67	157	76.30	204	12.12
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	0.11	8	0.54	17	0.48
गोवा	40	3.37	34	6.98	61	2.83
गुजरात	401	160.52	624	188.26	1,575	107.51
हरियाणा	554	92.91	813	138.60	1,239	83.64
हिमाचल प्रदेश	33	4.77	52	6.15	117	4.19
जम्मू और कश्मीर	45	19.04	49	28.51	84	8.77
झारखंड	116	35.57	125	10.77	240	12.84
कर्नाटक	435	119.60	987	246.07	1,499	243.43
केरल	166	103.40	373	54.42	1,256	200.61
लद्दाख	3	0.57	--	--	2	0.02
लक्षद्वीप	--	--	--	--	1	0.15
मध्य प्रदेश	291	50.14	467	41.36	709	53.20
महाराष्ट्र	2,233	1,257.66	3,882	441.45	7,586	391.78
मणिपुर	2	4.13	5	0.97	12	2.26
मेघालय	6	0.12	5	1.11	11	0.78
मिजोरम	1	0.85	--	--	2	0.93
नागालैंड	7	8.88	6	4.19	8	0.19
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	715	2,630.77	1,743	762.26	2,370	141.63
ओडिशा	238	75.59	568	36.74	449	28.64
पुडुचेरी	5	0.33	11	1.33	21	0.91
पंजाब	329	214.03	353	58.08	646	149.34
राजस्थान	324	114.06	456	51.74	1,423	88.73
सिक्किम	--	--	10	0.64	18	0.55
तमिलनाडु	577	252.36	3,192	418.27	6,468	663.63
तेलंगाना	257	265.14	513	111.48	1,009	98.76
त्रिपुरा	11	0.76	29	2.79	34	1.73
उत्तर प्रदेश	708	169.31	977	177.62	1,723	100.00
उत्तराखंड	41	5.13	65	7.61	175	10.93
पश्चिम बंगाल	537	3,391.04	920	159.85	1,821	116.78

स्रोत: आरबीआई
